

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:-प. 4(1)कार्मिक/क-2/अं.प्र./2006 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 30.4.2020


परिपत्र

समस्त अति० मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर सहित)।

विषय:-विभिन्न संवर्गों एवं पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने एवं नियमित डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंध में।

सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी विहित प्रावधानान्तर्गत विभिन्न पद/संवर्गों की एक अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित किया जाना आवश्यक है।

चूंकि अब नया वित्तीय वर्ष 2020-21 एक अप्रैल से प्रारम्भ हो चुका है। अतः समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्षों/नियुक्त प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष की भांति वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु दिनांक 01.04.2020 की स्थिति में नियमानुसार वरिष्ठता सूचियां प्रसारित करावें तथा विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित की जाकर पदोन्नति की कार्यवाही भी यथाशीघ्र सम्पादित करावें।


(रोली सिंह)


प्रमुख शासन सचिव

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
 2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।


(अजय सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।


शासन उप सचिव

28/2020